रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012020-215152
CG-DL-E-04012020-215152
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941
No. 401] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/ PAUSHA 6, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2019

मामला सं. (एसएसआर) 16/2019

कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी ग्रेडों और सभी सघनताओं (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) के फोस्फोरिक एसिड के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 7/28/2019-डी जी टी आर.— 1. जबकि, मैसर्स गुजरात अल्कलाइज एंड केमिकल लिमि. और मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. (जिन्हें यहां आगे आवेदक अथवा याचिकाकर्ता कहा गया है) ने कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सभी ग्रेडों और सभी सघनताओं (कृषि/ उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) के फोस्फोरिक एसिड" के आयातों पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के लिए समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय समय यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक संयुक्त आवेदन पत्र दायर किया है ।

2. आवेदकों ने कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना तथा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति का आरोप लगाते हुए अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा तथा उन्हें जारी रखने के लिये अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 12.11.2008 की अधिसूचना सं. 14/7/2007 – डी जी ए डी द्वारा कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी ग्रेडों और सभी सघनताओं (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) के फोस्फोरिक एसिड के आयातों के संबंध में पूर्व में एक जांच की शुरुआत की थी। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24.04.2009 की प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना सं.14/7/2007 – डी जी ए डी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 22.06.2009 की अधिसूचना सं. 74/2009–सीमा शुल्क द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। इस जांच के अनुसरण में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 11.11.2009 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं.14/07/2007 – डी जी ए डी द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की थी, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2009 की अधिसूचना सं. 140/2009 – सीमा शुल्क द्वारा कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाया गया था।

4. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने, उसके बाद, एक निर्णायक समीक्षा जांच की और दिनांक 19.06.2015 की अधिसूचना सं. 15/7/2014 – डी जी ए डी द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया था। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 24.08.2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना 45/2015 – सीमा शुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। संबंद्ध देश पर लगाया गया मौजूदा पाटनरोधी शुल्क 23.08.2020 तक लागू है।

समान वस्तु

5. आवेदकों ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामान इन सामानों की भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। अत: आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजन के लिए संबद्ध देश से आयातित किए जा रहे सामानों की ''समान वस्तु'' के रूप में माने जा रहे हैं ।

घरेलू उद्योग

6. यह याचिका मैसर्स गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल लिमि. और मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदकों ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक तथा भारत में किसी आयातक से संबद्ध हैं । इसके अतिरिक्त आवेदकों का संबद्ध समानों के भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।

7. उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से दिया गया है ।

पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का आधार

8. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देश में घरेलू बिक्री कीमतों से संबंधित सूचना उपलबध नहीं थी । तद्नुसार, आवेदकों ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कोरिया गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत से संबंधित सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विचार किया है ।

9. आवेदक ने डी जी सी आई एंड एस के लेन देनवार आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमतों का दावा किया है । समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और अंतरदेशीय भाड़ा व्यय के निमित्त कीमत समायोजन किए गए हैं ।

10. उपर्युक्तानुसार, निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (1)(क) के अनुसार निर्धारित किया गया है । यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर ही नहीं है बल्कि काफी भी है । इस बात का प्रथमदृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों का निर्मित सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों से काफी अधिक है जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामान पाटित कीमतों पर निर्यात किए जा रहे हैं और इस प्रकार जांच की शुरूआत करने का औचित्य बताने के लिए पाटन की सतत संभावना दर्शाता है ।

क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना तथा कारणत्मक संपर्क

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री के कारण कीमत घरेलू उद्योग को पाटन एवं परिणामस्वरूप क्षति के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं जिससे लाभ, नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) और नकद प्रवाह कम हुआ । इसके अतिरिक्त संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमता एवं निर्यातोन्मुखता के संबंध में आवेदक द्वारा दिए गए आंकड़े भी प्रथमदृष्टया पाटनरोधी शुल्क के बंद होने पर पाटन एवं परिणास्वरूप क्षति की संभावना दर्शाते हैं ।

निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

12. और इसीलिए, आवेदकों के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर तथा घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके बार- बार होने की संभावना की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर अपने आप को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्क को लगातार जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा इस तथ्य की जांच करने कि क्या इस प्रकार के शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके बार-बार होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं ।

विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

13. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "सभी ग्रेडों और सभी सघनताओं (कृषि/ उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) के फोस्फोरिक एसिड" **(**जिसे यहां आगे विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है**)** है । वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा होने के नाते विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जांच में है ।

14. संबद्ध उत्पाद कोड 2809 20 10 के तहत अध्याय शीर्ष- 28 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं । सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और उत्पाद क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

संबद्ध देश

15. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध देश कोरिया गणराज्य है ।

जांच की अवधि

16. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि 01 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2019 तक (15 महीने) है। क्षति की जांच की अवधि में 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016, 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 और जांच की अवधि शामिल होगी।

प्रक्रिया

17. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 11 नवंबर, 2009 की अधिसूचना सं 14/7/2007-डी जी ए डी द्वारा प्रकाशित मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम तथा दिनांक 19 जून, 2015 की अधिसूचना सं. 15/7/2014–डी जी ए डी के माध्यम से प्रकाशित निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं।

18. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस समीक्षा में लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

19. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, इस उत्पाद से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित रूप में और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए अलग से पत्र भेजा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

20. अन्य कोई भी हितबद्ध पक्षकार नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप एवं तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध भी कर सकते हैं। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वह अनुरोध के अगोपनीय पाठ को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

समय सीमा

21. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए ताकि यह नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना के प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुंच जाये। हालांकि यह नोट किया जा सकता है कि उक्त उपनियम की व्याख्या के संबंध में, सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाले नोटिस के संबंध में यह माना जायेगा कि यह जिस तिथि को निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को संप्रेषित किया गया, से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो गया है । यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है तब प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले मे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचना दें और प्रश्नावली का अपना उत्तर उपर्युक्त समयसीमा के भीतर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो, दो अलग-अलग सैटों में उन्हें दायर करना अपेक्षित है ।

i. एक सैट गोपनीय रूप में चिन्हित (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, विषय सूची आदि सहित), और

ii. दूसरा सैट अगोपनीय रूप में चिन्हित (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, विषय सूची आदि सहित) ।

24. "गोपनीय अथवा अगोपनीय" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट से चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्ह के बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उन अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे । दोनों रूपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा । गोपनीय रूपांतर की चार (4) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतर की दो (2) प्रतियां सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

25. गोपनीय रूपांतर में वह समस्त सूचना होगी, जो प्रकृति से गोपनीय है और/अथवा अन्य सूचना होगी जिसे उस सूचना को देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है । जिस सूचना के लिए प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उसे सूचना देने वाले के लिए दी गई सूचना के साथ कारण सहित विवरण प्रदान करना अपेक्षित है कि उस सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता ।

26. अगोपनीय रूपांतर के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति हो और अधिमानत: इसे सूचीबद्ध किया गया हो अथवा रिक्त छोड़ा गया हो (यदि विषयसूची बनाना व्यवहार्य न हो) और उस सूचना के आधार पर उसका सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त ब्यौरे के साथ होने चाहिए जिससे कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, अपवादस्वरूप परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि इसका सार दिया जाना क्यों संभव नहीं है।

27. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाले इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

28. उसके सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारण का विवरण दिए बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

29. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

30. इस नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

असहयोग

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है, तो प्राधिकारी उसमें उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिश कर सकते हैं जिन्हें वे उपयुक्त मानते हों।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMDIES)

INITIATION NOTICATION

New Delhi, the 27th December, 2019

Case No. (SSR) 16/2019

Sunset review of Anti-Dumping duty imposed on import of Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade) originating in or exported from Korea RP.

File No. 7/28/2019-DGTR.—1. Whereas M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Limited and M/s Grasim Industries Limited (hereinafter referred to as the "Applicants" or "Petitioners") have filed a joint application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for Sunset Review of Anti-Dumping duty imposed on imports of "Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade)" (hereinafter also referred to subject goods or product under consideration), originating in or exported from Korea RP (hereinafter also referred to as the subject country).

2. The Applicants have filed an application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Korea RP and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

BACKGROUND

3. The Designated Authority had earlier initiated an investigation concerning imports of Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade), originating in or exported from Korea RP *vide* Notification No. 14/7/2007-DGAD, dated 12.11.2008. On the basis of the recommendations made by the Authority *vide* Preliminary Findings Notification No. 14/7/2007-DGAD dated 24.4.2009, anti-dumping duty was imposed by the Central Government *vide* Notification No. 74/2009–Customs dated 22.6.2009. Pursuant to the investigation, the Designated Authority recommended imposition of anti-dumping duty *vide* Final Findings Notification No. 14/07/2007-DGAD dated 11.11.2009, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government *vide* Notification No. 140/2009–Customs dated 15.12.2009 on the imports of the subject goods, originating in or exported from Korea RP.

4. The Designated Authority, thereafter, conducted a sunset review investigation and the anti-dumping duties imposed *vide* Notification No. 15/7/2014-DGAD dated 19.06.2015. The definitive anti-dumping duty was extended by the Central Government *vide* Customs Notification No. 45/2015-Customs dated 24.08.2015. The current anti-dumping duties imposed on the subject country are in force till 23.08.2020.

LIKE ARTICLE

5. The Applicants have claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and product under consideration exported from subject country. Subject goods produced by the Applicants and imported from the subject country are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. Therefore, subject goods produced by the Applicants are being treated as "like article" to that being imported from the subject country for the purpose of the present review investigation.

DOMESTIC INDUSTRY

6. The petition has been filed by M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Limited and M/s Grasim Industries Limited jointly. As per the available information, the Applicants have neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any other producer/exporter of subject goods in the subject country or any importer in India. Further, the Applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods.

7. On the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

BASIS OF LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING

8. The Applicants have claimed that the information relating to domestic selling prices in the subject country were not available. Accordingly, the Applicants have considered best available information regarding cost of production of the product under consideration in Korea RP for determination of normal value.

9. The Applicant has claimed export prices on the basis of DGCI&S transaction wise import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses and inland freight expenses.

10. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Customs Tariff Act, 1975. It is noted that dumping margin is not only above de minimis level, but also significant. There is prima facie evidence that constructed normal value of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being exported at dumped prices, thus indicating continued likelihood of dumping so as to justify initiation of investigation.

LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY AND CASUAL LINK

11. The Authority notes that there is prima facie evidence of dumping and consequential injury to the domestic industry on account of price due to price under cutting and price under selling leading to reduced profits, Return on Capital Employed (ROCE) and cash flows. Further, the data provided by the Applicants on the capacity and export orientation of producers/exporters in the subject country also prima facie indicates a likelihood of dumping and consequential injury on cessation of the AD duty.

INITIATION OF SUNSET REVIEW

12. And therefore, on the basis of the duly substantiated application of the Applicants, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)

13. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade)" (hereinafter also referred to as product under consideration). The present investigation being a Sunset review, the scope of product under consideration is the same as that in the original investigation.

14. The subject products are classified under Chapter Heading 28 under the code 2809 20 10. The customs classification is indicative only and in no way it is no way binding upon the product scope.

SUBJECT COUNTRY

15. The subject country in the present sunset review investigation is Korea RP.

PERIOD OF INVESTIGATION

16. The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st April, 2018 – 30th June, 2019 (15 months). The injury investigation period shall cover the periods 1st April 2015 to 31st March 2016, 1st April 2016 to 31st March 2107, 1st April 2017 to 31st March 2018 and the period of investigation.

PROCEDURE

17. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published *vide* Notification No.14/07/2007-DGAD dated 11th November 2009 and final findings of sunset review investigation published *vide* Notification No. 15/7/204-DGAD dated 19th June, 2015.

18. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

SUBMISSION OF INFORMATION

19. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Trade Remedies,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
Parliament Street, New Delhi -110001.

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

TIME LIMIT

21. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said sub rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

23. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

    i. One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

    ii. The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

24. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted. Four (4) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

25. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

30. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

NON-COOPERATION

31. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.04 19:33:16 +05'30'